



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक- 25.04.2024

विषय:- “आपरेेशन कन्विक्शन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना रोहनिया में आबकारी अधिनियम के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 500/- रु. अर्थदण्ड।

थाना रोहनिया, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0- 441/2015 धारा 60 आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त राम अवतार पटेल पुत्र गोविन्द पटेल निवासी हरिहरपुर थाना रोहनिया जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक रोहनिया व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 24.04.2024 को माननीय न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त राम अवतार पटेल उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 500/- रु. अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।